

उत्तराखण्ड में मोहाली की तरज़ पर बसेंगे अलग-अलग शहर

चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2022 को उत्तराखण्ड के शहरी विकास एवं आवास के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने चंडीगढ़ के उप नगर मोहाली की तरज़ पर उत्तराखण्ड में भी अब अलग-अलग शहर बसाए जाने की जानकारी दी।

प्रमुख बंदि

- राज्य में अब अलग-अलग शहर बसाए जाने के संबंध में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद ने नज़ी विकासकर्त्ताओं से आवेदन मांगे हैं। यह टाउनशिप तीन श्रेणियों में विकसित की जा सकती है।
- नेबरहुड- यह छोटी टाउनशिप होगी। मैदानी क्षेत्रों में छह हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर और पर्वतीय क्षेत्रों में तीन हेक्टेयर से दस हेक्टेयर भूमि पर ही यह टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
- टाउनशिप- मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 हेक्टेयर भूमि पर और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 से 20 हेक्टेयर भूमि पर यह टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
- स्पेशल टाउनशिप- मैदानी क्षेत्रों में 40 हेक्टेयर से अधिक भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यह टाउनशिप विकसित की जाएगी।
- उत्तराखण्ड सरकार की इस योजना का उद्देश्य यह है कि पुराने शहरों का बोझ कम हो और नए शहरों में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएँ मिलें। सभी टाउनशिप की उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद नगिरानी करेगा।
- सरकार ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राप्त आवेदनों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। विशेषज्ञ यह बताएंगे कि संबंधित ज़मीन पर टाउनशिप विकसित हो सकती है या नहीं। इसके बाद उस जगह का मास्टर प्लान तैयार होगा। विकासकर्त्ता को उस जगह पर सड़क, बजिली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर मास्टर प्लान, रेरा से पंजीकरण सहित तमाम सरकारी कामों में विकासकर्त्ता को परिषद से सहयोग मिलेगा, हालाँकि सरकारी शुल्क जमा कराने होंगे।
- मोहाली की तरज़ पर जो शहर बनेंगे, वहाँ स्कूल, कॉलेज से लेकर अस्पताल और खेल के मैदान तक की पूरी सुविधा होगी।
- मोहाली को जैसे सेक्टर में बाँटा गया है, वैसे ही उत्तराखण्ड के शहरों को भी सेक्टर में बाँटा जा सकेगा। इसमें विशेष क्षेत्र, जैसे- आईटी कंपनियों के लिये या अन्य रोज़गार देने वाली कंपनियों के लिये भी अलग से जगह सुरक्षित की जाएगी।